

अनौपचारिक रूप
से परामर्शित

बिहार सरकार
गृह (आरक्षी) विभाग

पत्रांक-6/ब0गै0यो0-01-83/2015गृ0आ0..... पटना, दिनांक

सेवा में,

महालेखाकार (ले0 एवं हक0),
बिहार, पटना।

द्वारा :- वित्त विभाग।

विषय :- वित्तीय वर्ष 2015-16 में गैर-योजना के मांग संख्या-22, मुख्य शीर्ष 2055-पुलिस, उप मुख्यशीर्ष-00, लघु शीर्ष 109-जिला पुलिस, उपशीर्ष 0005-स्पेशल ऑकिजलरी पुलिस हेतु, विषय शीर्ष 28 01-व्यावसायिक एवं विशेष सेवाएँ तथा विपत्र कोड N2055001090005 के अंतर्गत संभावित बचत राशि में से इसी मुख्य शीर्ष के उप मुख्यशीर्ष 00, लघु शीर्ष 104-विशेष पुलिस, उपशीर्ष 0001-अश्वारोही सैन्य पुलिस, विषय शीर्ष 01 01-वेतन, 01 03-जीवन यापन भत्ता, 01 04-मकान किराया भत्ता, 01 05 परिवहन भत्ता, 01 06-चिकित्सा भत्ता एवं 01 07-अन्य भत्ता तथा विपत्र कोड N2055001040001 के अंतर्गत क्रमशः ₹ 48,00,000, ₹ 59,00,000, ₹ 8,00,000, ₹ 60,000, ₹ 1,00,000 एवं ₹ 6,00,000 यानि कुल ₹ 1,22,60,000 (एक करोड़ बाईस लाख साठ हजार रू0) मात्र के पुनर्विनियोग की स्वीकृति।

आदेश :- बिहार वित्तीय नियमावली के नियम-489 के अधीन पुनर्विनियोग स्वीकृत।

अनु0 :- अनुसूची।

बिहार राज्यपाल के आदेश से


ह0/-

(आमिर सुबहानी)

सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञाप सं0-6/ब0गै0यो0-01-83/2015 गृ0आ0.....पटना, दिनांक 1237 8.02.16

प्रतिलिपि :- कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना/
वित्त विभाग (बजट शाखा-5), पटना/पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना/पुलिस महानिरीक्षक
(बजट, अपील एवं कल्याण), बिहार, पटना/आई0टी0 प्रबंधक, गृह विभाग, बिहार, पटना को
सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।



18.2.16

सरकार के प्रधान सचिव